संख्या-07/2020/300/61-2020-283/2015

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 11 मार्च, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में जनपद-बलिया में वी0वी0पैट के भण्डारण हेतु निर्माणाधीन वेयरहाउस/गोदाम के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-226/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017, दिनांक-06.03.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा शासनादेश संख्या-869/61-2018-67/3-2017 (नि0-3), दिनांक-19 दिसम्बर, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2018-19 में उक्त शासनादेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 द्वारा जनपद बलिया में वी0वी0पैट के भण्डारण हेतु वेयरहाउस/गोदाम के निर्माण हेतु क्रमशः रू0 415.01 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 2,07,50,500/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार जनपद बलिया में वी0वी0पैट के भण्डारण हेतु निर्माणाधीन वेयरहाउस/गोदाम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 रू0 2,07,50,500/- (रूपये दो करोड़ सात लाख पचास हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यो हेतु न तो पूर्व में किसी अन्य मद/योजना से वित्त पोषण किया गया हो और न तो किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(6) इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-869/61-2018-67/3-2017 (नि0-3), दिनांक-19 दिसम्बर, 2018 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

3- उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-ई0वी0एम0/वी0वी0पैट भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019,दिनांक-22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

संख्या-07/2020/300 (1)/61-2020-283/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) जिला निर्वाचन अधिकारी, बलिया।
(6) अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 निर्माण इकाई, बलिया।
(7) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in